

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी-डॉ.राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

1. अपील संख्या: 99 / 12

निर्णय दिनांक 24-11-12

1. शान्तिदेवी पत्नी जीवराज जाति चौरड़िया निवासी नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांत—

—बनाम—

1. भंवरी पुत्री छोगाराम जाति जाट निवासी धावला तहसील नीमच जिला सीकर।
2. सुगनी पुत्री छोगाराम पत्नी बुधाराम जाति जाट निवासी धर्मकांटा के पीछे जोरावरपुरा बास नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. जीवणी पुत्री छोगाराम पत्नी रणजीतराम जाति बिश्नोई निवासी रामपुरा बस्ती डेयरी के पीछे, लालगढ़, बीकानेर।
4. रेवन्ती पुत्री छोगाराम पत्नी अन्नाराम जाति जाट निवासी सोमलसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
5. छगनीदेवी पत्नी स्व. मोडाराम जाति जाट निवासी सोमलसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
6. पूनमचन्द्र पुत्र स्व. मोडाराम जाति जाट निवासी सोमलसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
7. महिपाल पुत्र स्व. मोडाराम जाति जाट निवासी सोमलसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
8. बजरंगलाल पुत्र स्व. मोडाराम जाति जाट निवासी सोमलसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
9. प्रभूराम पुत्र लिखुराम जाति जाट निवासी सोमलसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
10. नारायण बेवा उदाराम
11. जगदीश पुत्रगण, पुत्री उदाराम जाति जाट निवासी
12. ओमप्रकाश सोमलसर तहसील नोखा जिला बीकानेर
13. श्रीराम
14. कमला
15. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसील नोखा।
16. उपपंजीयक कार्यालय नोखा

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, नोखा
दिनांक 03.02.2012

2. अपील संख्या: 100/12

1. शान्तिदेवी पत्नी जीवराज जाति चौरड़िया निवासी नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

-अपीलांट-

-बनाम-

1. भंवरी पुत्री छोगाराम जाति जाट निवासी धावला तहसील नीमच जिला सीकर।
2. सुगनी पुत्री छोगाराम पत्नी बुधाराम जाति जाट निवासी धर्मकांटा के पीछे जोरावरपुरा बास नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. जीवणी पुत्री छोगाराम पत्नी रणजीतराम जाति बिश्नोई निवासी रामपुरा बस्ती डेयरी के पीछे, लालगढ़, बीकानेर।
4. रेवन्ती पुत्री छोगाराम पत्नी अन्नाराम जाति जाट निवासी सोमलसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
5. छगनीदेवी पत्नी स्व. मोडाराम जाति जाट निवासी सोमलसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
6. पूनमचन्द पुत्र स्व. मोडाराम जाति जाट निवासी सोमलसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
7. महिपाल पुत्र स्व. मोडाराम जाति जाट निवासी सोमलसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
8. बजरंगलाल पुत्र स्व. मोडाराम जाति जाट निवासी सोमलसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
9. प्रभूराम पुत्र लिखुराम जाति जाट निवासी सोमलसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
10. नारायण बेवा उदाराम
11. जगदीश पुत्रगण, पुत्री उदाराम जाति जाट निवासी
12. ओमप्रकाश सोमलसर तहसील नोखा जिला बीकानेर
13. श्रीराम
14. कमला
15. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसील नोखा।
16. उपपंजीयक कार्यालय नोखा

-रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, नोखा

दिनांक 03.02.2012

उपस्थित:—

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांटस
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह दोनों अपीलें उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 03.02.2012 के विरुद्ध पेश की, जिसके द्वारा अपीलांट का वाद विधि विरुद्ध तरीके से खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।
2. दोनों अपीलों में निर्णय किये जाने योग्य वैधानिक प्रश्न समान हैं, इसलिए इन दोनों अपीलों को एक ही कोमन निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। इस निर्णय की एक-एक प्रति उपरोक्त दोनों पत्रावलियों पर रखी जावे।
3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि वाके रोही मौजा सोमलसर तहसील नोखा में खसरा नम्बर 258 रकबा 1.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 267 रकबा 10.42 हेक्टर, खसरा नम्बर 329 रकबा 7.77 हेक्टर, खसरा नम्बर 518 रकबा 5.04 हेक्टर, कुल रकबा 24.48 हेक्टर रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ता 4 तथा रेस्पोजेन्ट संख्या 5, 6 क पिता एवं रेस्पोजेन्ट संख्या 7 के श्वसुर तथा रेस्पोजेन्ट संख्या 8 ता 11 के दादा स्वर्गीय लिखूराम का 1/2 हिस्सा तथा मु. नोजा बेवाह छोगाराम का 1/2 हिस्सा व हक निहित है एवं राजस्व रिकार्ड में अंकित चली आ रही है। मु. नोजा ने अपने जीवन काल में वादगत् आराजी जरिये विक्रय पत्र दिनांक 14-10-2005 को उपरोक्त अंकित भूमि में से खसरा नम्बर 329 में से अपने निहित हिस्से की भूमि में से 1.94 हेक्टर भूमि विक्रय कर दी गई तथा मौके

पर कब्जा संभला दिया गया तभी से वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है।

उन्होंने आगे बताया कि दौराने वाद सरस्वती देवी द्वारा उक्त आराजी अपीलांट शान्तिदेवी को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 07-07-2011 द्वारा विक्रय कर मौके पर कब्जा संभला दिया गया। रेस्पोजेन्ट का अपीलांटा की खरीदशुदा भूमि से कोई संबंध नहीं है। अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में केवल मात्र यह आधार लिया गया है कि एक वाद मोडाराम बनाम मु. नोजा इस न्यायालय में जैरकार है, इसलिए नया दावा नहीं ला सकते। जबकि अदालत मातहत के समक्ष ऐसा कोई सबूत रेस्पोजेन्ट द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया ना ही अपने प्रार्थना पत्र में कोई वर्णन अंकित किया। अदालत मातहत द्वारा बिना किसी आधार के अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो विधि के विरुद्ध होने से खारिज योग्य है। अभिभाषक अपीलांट ने प्रस्तुत प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के द्वारा पारित निर्णय उनवान रेवन्ती बनाम मोडाराम दिनांक 16-08-2016 की प्रति प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा अपने निर्णय में यह अभिलिखित किया गया है कि अपीलांट शान्तिदेवी मामलें में प्रभावित पक्षकार है, तथा मामलें उन्हें कोई उजर एतराज हो तो वे अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत होकर व्यक्त करें ताकि अन्तिम डिक्री का निस्तारण से पूर्व अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकें। इस प्रकार माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा अपीलांट का प्रभावित पक्षकार माना गया है। अपीलांट द्वारा वादगत् आराजी जरिये बैयनामा खरीद की गई है। इसलिए अब अपीलांट प्रभावित व आवश्यक पक्षकार होने के कारण अपील प्रस्तुत करने के अधिकार प्राप्त हो चुके है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 03-02-2012 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को जवाब दावा एवं सबूत लेकर विधि सम्मत निर्णय हेतु रिमाण्ड किया जावे।

↓

5. रेसपोडेन्ट संख्या 2, 4 ता 14 के समन "लेने से इंकार" की रिपोर्ट के साथ प्राप्त होने व रेसपोडेन्ट संख्या 1 व 3 के समन रजिस्टर्ड जारी किये जाने के बावजूद वे नोटिस उपस्थित नहीं आये। अतः प्रकरण में उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।
6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
7. (1) प्रस्तुत प्रकरण में वादगत् भूमि तहसील नोखा के रोही मौजा सोमलसर में खसरा नम्बर 258 रकबा 1.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 267 रकबा 10.42 हेक्टर, खसरा नम्बर 329 रकबा 7.77 हेक्टर, खसरा नम्बर 518 रकबा 5.04 हेक्टर, कुल रकबा 24.48 हेक्टर रेसपोडेन्ट संख्या 1 ता 4 तथा रेसपोडेन्ट संख्या 5, 6 क पिता एवं रेसपोडेन्ट संख्या 7 के श्वसुर तथा रेसपोडेन्ट संख्या 8 ता 11 के दादा स्वर्गीय लिखूराम का 1/2 हिस्सा तथा मु. नोजा बेवाह छोगाराम का 1/2 हिस्सा व हक निहित है एवं राजस्व रिकार्ड में अंकित चली आ रही है।
- (2) मु. नोजा ने अपने जीवन काल में वादगत् आराजी जरिये विक्रय पत्र दिनांक 14-10-2005 को उपरोक्त अंकित भूमि में से खसरा नम्बर 329 में से अपने निहित हिस्से की भूमि में से 1.94 हेक्टर भूमि सरस्वती देवी पत्नी नानकराम जाति जाट साकिन सोमलसर तहसील नोखा को विक्रय कर दी गई तथा मौके पर कब्जा संभला दिया गया तभी से वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। तत्पश्चात् सरस्वतीदेवी द्वारा उक्त भूमि अपीलांट शान्तिदेवी पत्नी जीवराज जाति चोरड़िया निवासी नोखा को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 07-07-2011 विक्रय कर दी गई। इस प्रकार अपीलांट वादगत् भूमि की खातेदार टीनेन्ट हो चुकी है तथा मामलें में प्रभावित पक्षकार एवं आवश्यक पक्षकार होने के कारण अपील प्रस्तुत करने के अधिकार प्राप्त हो चुके है।
- (3) हस्तगत् मामलें में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा भी अपील संख्या 996/2001/टी.ए./बीकानेर में पारित निर्णय में यह अभिनिर्धारित करते हुए निर्देशित किया जा चुका है कि:-

"In this matter, it is pertinent to mention here that certain part of the land in dispute has been sold out by Smt. Noja and has been purchased by Smt. Shanti Devi Chordiya; as such, she is also the interested party and has been made party in the appeal. After hearing the appeal and after going through the concerned file, we are finding no defect in the judgement of the learned RAA, dated 09-03-1992 by which order he partially admitted the appeal and remanded back the matter to the learned lower court for getting the proposal from Tehsildar as per the provisions of Rule 18 to 21 of the Rajasthan Tenancy(Board of Revenue) Rules, 1955 and on the proposal, obtain the objections of the parties and pass the final decree as per law. However, the present appelland and Smt. Shanti Devi Chordiya are also the affected parties and if they are having any grievance, they may approach before the learned trial court in proceedings for final decree as per law. All the concerned parties may file their objection before the learned lower court."

(4) प्रकरण में चूंकि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि सभी प्रभावित पक्षकार अंतिम डिक्री पारित होने से पूर्व ट्रायल कोर्ट उपखण्ड अधिकारी, नोखा के समक्ष उपस्थित होकर अपना उजर एतराज व पक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है तथा अदालत मातहत सभी पक्षों को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करने के उपरान्त मामलें में अंतिम डिक्री पारित करें। अपीलांट श्रीमती सरस्वतीदेवी पत्नी जीवराज वादगत् आराजी की बोनाफाईड परचेजर होने से उसका मामलें में प्रभावित व आवश्यक पक्षकार होना साबित है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांत की अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, नोखा दिनांक 03-02-2012 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांत शान्तिदेवी पत्नी जीवराज चौरड़िया को अपने हक व हकूक घोषित करवाने हेतु न्यायालय में जैरकार मूल वाद दावा संख्या 134/2002 उनवान मोडाराम बनाम मु. नोजा में आवश्यक पक्षकार बनाते हुए प्रकरण में सभी आवश्यक पक्षकारों को सुनवाई, साक्ष्य व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 24-11-17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर